

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

29.10.2024

वाद सं०— एम०— 31 / 2024—25

वाद का प्रकार— धारा— 126 भा०ना०सु०सं०

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, चैनपुर थाना) —बनाम— रतन साहु, वगै०

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिकी काण्ड सं०— 73 / 2024 एवं चैनपुर थाना अप्राथमिकी काण्ड सं०— 10 / 2024 दिनांक— 02.10.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा— 126 भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्यवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष 1. रतन साहु, पे० हजारी साहु, ग्राम कटकाही 2. संजय साहु, पे० शिवशरण साहु, ग्राम कटकाही 3. दीपक महतो, पे० स्व० मुनेश्वर महतो, ग्राम कटकाही 4. संतोष केशरी, पे० यमुना प्रसाद केशरी, ग्राम चैनपुर 5. संदीप भगत, पे० राजेशरण भगत, एम०एल०ए० रोड 6. निलेश जयसवाल, पे० मुनेश्वर जयसवाल (मुन्ना) ग्राम एम०एल०ए० रोड 7. आशोक सिंह, ग्राम बुटवारी चैनपुर 8. आदित्य केशरी, पे० विनोद केशरी, ग्राम— चैनपुर 9. अफरोज खान, पे० खादिम खान, सा०— चैनपुर 10. तपश कुमार, पे० क्रमचन्द मन्ना, सा० प्रेमनगर 11. अभिषेक केशरी, पे० अनिल केशरी, सा० प्रेमनगर 12. राहुल साहु, पिता अशोक साहु, 13. अमन ठाकुर, पिता कपिल देव ठाकुर, सा० चैनपुर 14. सूरज साहु, पे० पोखन साहु, सा० चैनपुर 15. कलाम खान, पे० कमरुद्दीन अंसारी, सा० बरवेनगर 16. इम्तियाज खान, पे० महत खान, सा० बरवेनगर 17. अयूब खान, पे० स्व० खेई खान, सा० बरवेनगर, 18. समशाद खान, पे० सफिक ठाकुर, सा० बरवेनगर 19. अफजल शेख, पे० जमीर अली शेख, सा० चैनपुर, सभी थाना चैनपुर, जिला गुमला को दुर्गापूजा पर्व, 2024 में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। थाना प्रभारी, चैनपुर से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशाधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।